



2026:AHC:178200

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29802 वर्ष 2026**

कन्हैया लाल @ पप्पू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

---

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : कृष्ण देव मिश्रा  
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या- 69**

**माननीय न्यायमूर्ति अनीश सक्सेना**

1. अभियुक्त-आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण देव मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

1क. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करते हुए पूरक शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त- **कन्हैया लाल @ पप्पू** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 0383 वर्ष 2026, धारा 109(1), 3(5), 191(2), 191(3), 351(3), 352, 115(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, थाना- जहांगीराबाद, जनपद- बुलंदशहर में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त-आवेदक को दिनांक 20.07.2026 को विलंब से दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूठा फंसाया गया है, जिसमें अभियुक्त/आवेदक सहित छह नामजद व्यक्तियों तथा 10-15 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 19.07.2026 को लगभग 6:45 बजे सायं, जब सूचनाकर्ता और उसके पिता सड़क से होकर जा रहे थे, तब एक वाहन (छोटा हाथी) से ओम प्रकाश नामक व्यक्ति के घर में कुछ सामान उतारा जा रहा था। सूचनाकर्ता ने अपने वाहन को रास्ता देने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिए कहा, जिस पर पक्षकारों के बीच कुछ कहासुनी हुई, जिसके परिणामस्वरूप आपस में मारपीट हो गई। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सूचनाकर्ता तथा उसके पिता मुकेश कुमार को कोई चोट नहीं आई। उन्हें बचाने के लिए आए व्यक्तियों, अर्थात् ओम प्रकाश (वर्तमान सभासद), तौफीक, रिकू तथा श्रीमती जमुना देवी को चोटें आईं। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रयुक्त हथियारों के रूप में लाठी, डंडा, लोहे की छड़ तथा धारदार हथियार का उल्लेख किया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त/आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसकी पत्नी को चोटें आई थीं, जिसके संबंध में वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने गया था, किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और इसके पश्चात उसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग 21 व्यक्तियों की भूमिका दर्शाई गई है और चार व्यक्ति घायल पाए गए, जिनमें से सूचनाकर्ता तथा उसके पिता, जो घटना के मूल कारण थे, को कोई चोट नहीं आई। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है। विवेचना जारी है और वह विवेचना में सहयोग कर रहा है। अभियुक्त/आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त-आवेदक दिनांक 20.07.2026 से कारागार में निरुद्ध है। उन्होंने उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की।

4. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया।

5. इस न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को ध्यान में रखा तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

6. चोटों की प्रकृति एवं संख्या तथा अभियुक्तों की संगत संख्या को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त/आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. अतः मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, जमानत आवेदन **स्वीकृत किया जाता है।**

8. अभियुक्त/आवेदक को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा **गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2024) 10 एस.सी.सी. 674]** तथा जमानत प्रदान करने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की नीति एवं रणनीति के संबंध में [(2024) 10 एस.सी.सी. 685] के मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों में की गई टिप्पणियों के आलोक में जमानत पर रिहा किया जाए।

9. अभियुक्त-आवेदक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण के लिए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

24 अगस्त, 2026

अभिषेक श्री.

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।